**न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–83 / 2026**
**परिवाद–पत्र संख्या–सी.1.06 / 2024.**
**सरकार बनाम् रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता व अन्य**
**संज्ञान अंतर्गत धारा–420, 506 / 34 भा0द0वि0**

**सी.एन.आर.नं0–BRSO01000547-2026**

01. रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता, पिता–कमल प्रसाद गुप्ता, उम्र करीब–44 वर्ष,
02. श्यामबाबू गुप्ता, पिता–कमल प्रसाद गुप्ता, उम्र करीब–40 वर्ष,
दोनों निवासी ग्राम–मसौढ़ा, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री मनोज कुमार।
परिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता –श्री धीरज कुमार मिश्रा।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

**उपस्थितिः दीपक कुमार,**
**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**शिवहर।**
**19.03.2026**

---

**दिनांक–19.03.2026** **आदेश**

आवेदक अभियुक्तगण–01. रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता एवं 02. श्यामबाबू गुप्ता (दोनों अभियुक्तगण), जिनका मामला परिवाद–पत्र संख्या–सी.1.06 / 2024, संज्ञान अंतर्गत धारा–420, 506 / 34 भा0द0वि0 के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्ध विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एवं परिवादी की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता श्री धीरज कुमार मिश्र के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला परिवाद–पत्र के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें परिवादी–लालबाबू साह, पिता–स्व0 रामचरित्र साह, निवासी ग्राम–बसहिया शेख, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, शिवहर के न्यायालय में दाखिल अपने परिवाद–पत्र में लिखा है कि–निवेदन के साथ कहना है कि प्रार्थी लालबाबू साह एक व्यसायिक व्यक्ति है तथा रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता (दोनों अभियुक्तगण) दोनों सगे भाई हैं तथा रामबाबू गुप्ता (आवेदक संख्या–01), एक राष्ट्रीय पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, के साथ विश्वास का संबंध था। प्रार्थी भी उसी पार्टी के सदस्य हैं, रामबाबू गुप्ता व्यवसायिक व्यवहार हेतु राजकिशोर साह, पिता का नाम–कृष्णदेव साह, निवासी वार्ड नं0–3. नगर परिषद्, शिवहर के साथ परिचय करवाया तथा कुछ दिनों तक राजकिशोर साह व्यवसायिक संबंध विश्वासजनक रूप से किया। दिनांक–10.04.2023 को रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता (दोनों अभियुक्तगण), राजकिशोर साह के साथ प्रार्थी के दुकान पर आया तथा राजकिशोर साह के आवश्यक कार्य बताकर बीस लाख रुपया की मॉग किया। प्रार्थी रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता के विश्वास एवं गारंटी देने पर दिनांक–17.04.2023 को 20 लाख रुपया अपने तीन मित्रों एवं सगे–संबंधियों से उधार लेकर सभी साक्षियों के समक्ष पैंचा के रूप में दिया तथा राजकिशोर साह भी गारंटी के रूप मे दो चेक 10–10 लाख रुपया का दे दिया। रुपया लौटाने का समय दो माह गुजरने के बाद प्रार्थी अपने रुपया की मॉग किया तथा राजकिशोर साह के कहने पर प्रार्थी चेक भुगतान के लिए बैंक गया जहॉ उसे मालूम चला कि राजकिशोर साह द्वारा चेक भुगतान करने पर रोक लगा दिया है। तब प्रार्थी राजकिशोर साह से सम्पर्क किया तब रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता (दोनों अभियुक्तगण) आकर बोले कि आपका रुपया मिल जाएगा, घबराइये नहीं तब प्रार्थी वकालतन सूचना भेजा तथा संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर प्रार्थी पिपराही थाना कांड संख्या–165 / 2023 दर्ज करवाया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता केस उठा लेने के लिए बार–बार कहते थे और प्रार्थी को विश्वास दिलाया कि अगर राजकिशोर साह रुपया नहीं लौटायेगा तो हमदोनों भाई रुपया लौटा देंगे। ऐसे चेक संबंधी तकरीबन दस नाजायज

लगातार / –

**न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–83/2026**
**परिवाद–पत्र संख्या–सी.1.06/2024.**
**सरकार बनाम् रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता व अन्य**
**संज्ञान अंतर्गत धारा–420, 506/34 भा0द0वि0**

**सी.एन.आर.नं0–BRSO01000547-2026**

**दिनांक–19.03.2026** **–2–**

घटना रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता अपने मेलियों के साथ घटित कर चुका है। रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता प्रार्थी को लोक अदालत के समक्ष बुलाकर लाया तथा पूर्व से टाईप किये हुए कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया तथा न्यायालय में जमा करवा दिया। बाद प्रार्थी भी अपने शुभचिन्तकों को बुलाकर सारा बात बताया तथा न्यायालय आकर रेकर्ड के मुआयना किया तब प्रार्थी को पता चला कि अभियुक्त रामबाबू गुप्ता, श्यामबाबू गुप्ता षड्यंत्र कर प्रार्थी को विश्वास में लेकर दोषपूर्ण ढ़ंग से उसका हस्ताक्षर दो कागज पर करवा लिया, जिसमें 22 दिन के अन्दर 20 लाख रुपया लौटाने का बात रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता, राजकिशोर साह कहा था तथा संधि–पत्र एवं अन्य कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था तथा प्रार्थी को कागज पर लिखे गये आवेदन पढ़ने भी नहीं दिया था तथा संधि पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद न्यायालय एवं कानून की अवहेलना कर उक्त संधित आवेदन पर हाथ से लिख दिया कि बकाया राशि सूचक ने अभियुक्त से प्राप्त कर लिया है, जबकि अभियुक्तगण एक पैसा भी नहीं दिया। दिनांक–17.11.2023 को प्रार्थी पुनः अपने रुपये की मॉग किया तब तीनों लोग बोला रुपया नहीं देंगे जो करना है करो, हम तीनों लोग रुपया आपस में बॉट लिए हैं। इस घटना को ग्राम–बसहिया, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर के मो0 नुरूल होदा, पिता–जीमल अहमद, सहबाज आलम, पिता–मो0 शमसाद, फुलबाबू, पिता–रामचन्द्र साह, मो0 इरफान, पिता–मो0 इमामुल हकर लोग जानते हैं, जो बता देंगे। इस प्रकार रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता (दोनों अभियुक्तगण) प्रार्थी को विश्वास में लेकर 20 लाख रुपया राजकिशोर साह को पैंचा दिलवाया तथा रुपया राजकिशोर साह नहीं लौटाया तब पिपराही थाना कांड संख्या–165/2023 दर्ज करवाया, जिसमें रामबाबू गुप्ता एवं श्यामबाबू गुप्ता उत्प्रेरण षड्यंत्र प्रार्थी को धोखा में रखकर सुलह–सलाह करवाकर वाद समाप्त करवा दिया तथा न्यायालय के समक्ष झूठा साक्ष्य बनाकर पेश किया तथा 20 लाख रुपया भी नहीं लौटाया एवं तीनों षड्यंत्र के तहत प्रार्थी का बीस लाख रुपया ठग कर आपस में बॉट लिया एवं प्रार्थी द्वारा लिए गए उधार देनदारी से बर्बाद वह हो गया है तथा खाने के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस घटना के लिए प्रार्थी पिपराही थाना ाकर दिनांक 11.12.2023 को आवेदन दिया एवं ईमेल पर आवेदन पिपराही थानाध्यक्ष को भेजा, किन्तु वाद दर्ज नहीं होने पर प्रार्थी आज परिवाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है। इसी आधार पर प्रस्तुत वाद दर्ज किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदकगण–01. रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता एवं 02. श्यामबाबू गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का पूर्व से एक अपराधिक इतिहास है। आवेदकगण निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी में आवेदकगण के विरूद्व लगाये गये आरोप झूठा एवं निराधार है। वास्तविकता है कि परिवादी ने इस संबंध में पूर्व में पिपराही थाना कांड संख्या–165/2023 (प्राथमिकी की छाया–प्रति संलग्न) दर्ज कराया था, जिसमें दिनांक–02.09.2023 को संधि–पत्र एवं अनुमति–पत्र दाखिल किया था, जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया और उक्त आधार पर ही उक्त वाद से संबंधित रेकर्ड को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा गया, जहॉ प्रस्तुत वाद के दोनों पक्षों की सहमति से उक्त वाद को दिनांक–09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित किया गया है। (राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित आदेश की छाया–प्रति संलग्न)। परिवाद–पत्र के नामित सह–अभियुक्त–राजकिशोर साह, जो परिवादी के द्वारा पूर्व में दाखिल पिपराही थाना कांड संख्या–165/2023 के भी प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं, को वाद से सम्बद्व विद्वान न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में संधि–पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में दिनांक–02.09.2023 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। (दिनांक–02.09.2023 के आदेशफलक पर लिखित आदेश की छाया–प्रति संलग्न)। आवेदकगण सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

लगातार/–

**न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।**
**अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–83 / 2026**
**परिवाद–पत्र संख्या–सी.1.06 / 2024.**
**सरकार बनाम् रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता व अन्य**
**संज्ञान अंतर्गत धारा–420, 506 / 34 भा0द0वि0**

**सी.एन.आर.नं0–BRSO01000547-2026**

**दिनांक–19.03.2026** **–3–**

विद्वान लोक अभियोजक एवं परिवादी के निजी विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा परिवाद–पत्र एवं वाद से संबंधित मूल अभिलेख का अवलोकन किया। परिवाद–पत्र एवं मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दीवानी विवाद से संबंधित प्रतीत होता है। आवेदक अभियुक्तगण–01. रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता एवं 02. श्यामबाबू गुप्ता, परिवाद–पत्र के नामित अभियुक्त हैं, जिन पर परिवाद पत्र के नामित एक अन्य सह–अभियुक्त–राजकिशोर साह को परिवादी से बीस लाख रुपया दिलवाने एवं परिवादी के द्वारा रुपये की मॉग किये जाने पर आश्वासन दिये जाने के बाद भी उक्त सह–अभियुक्त से रुपया वापस नहीं दिलाने एवं उक्त सह–अभियुक्त के साथ मिलकर छल, प्रपंच एवं षड्यंत्र कर न्यायालय के समक्ष संधि–पत्र दाखिल कर, वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित कराये जाने की बात कही जाती है। आवेदकगण की ओर से जमानत आवेदन के साथ संलग्न एवं मूल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद–पत्र के परिवादी के द्वारा पूर्व में परिवाद–पत्र के नामित सहअभियुक्त–राजकुमार साह (जो प्रस्तुत वाद से संबंधित परिवाद–पत्र के नामित सह–अभियुक्त हैं) के विरूद्व इस मामले के ही संबंध में पूर्व में पिपराही थाना कांड संख्या–165 / 2023 दर्ज कराया गया था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर दिनांक–02.09.2023 को संधि–पत्र एवं अनुमति–पत्र सम्बद्व सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था एवं न्यायालय के समक्ष संधि–पत्र भी दाखिल किया गया था, जिस पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं परिवादी के द्वारा भी हस्ताक्षर किया गया था और उक्त आधार पर ही उक्त वाद से संबंधित रेकर्ड को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा गया, जहॉ प्रस्तुत वाद के दोनों पक्षों की सहमति से उक्त वाद को दिनांक–09.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत से अंतिम रूप से निष्पादित किया गया। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवाद–पत्र के नामित सह–अभियुक्त–राजकिशोर साह, जो परिवादी के द्वारा पूर्व में दाखिल पिपराही थाना कांड संख्या–165 / 2023 के भी प्राथमिकी के नामित एकमात्र अभियुक्त हैं, को वाद से सम्बद्व विद्वान न्यायालय के द्वारा उक्त वाद में संधि–पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में दिनांक–02.09.2023 को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व प्रस्तुत वाद में संज्ञान लिया जा चुका है एवं वाद अभी उपस्थिति हेतु चल रहा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–01. रामबाबू प्रसाद गुप्ता उर्फ रामबाबू गुप्ता एवं 02. श्यामबाबू गुप्ता में से प्रत्येक को आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर सक्षम विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार होने पर सम्बन्धित विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के संतुष्टियोग्य मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानत बंध–पत्र निष्पादित किये जाने पर ाारा–482(2)बी0एन0एस0 के शर्त के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि–**आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद में आरोप गठन होने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि को सम्बद्व विद्वान न्यायालय के समक्ष सदेह रूप से उपस्थित रहेंगे।**

**लेखापित एवं शुद्विकृत**

**ह0 / –**

**प्रधान सत्र न्यायाधीश**
**शिवहर।**
**19.03.2026**